मीडिया विज्ञप्ति का मसौदा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 06 वर्ष 2025

राजस्थान सरकार (वर्ष मार्च 2023 को समाप्त)

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष–संक्षिप्त विवरण

राजस्थान सरकार से संबंधित मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 26.02.2026 को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन में चयनित राजस्व अर्जित करने वाले विभागों और राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किए गए व्यय से संबंधित ₹584.81 करोड़ के लेखापरीक्षा आक्षेप शामिल हैं।

लेखापरीक्षा में पाये गये आक्षेप मुख्य रूप से निगरानी, प्रवर्तन, वित्तीय नियंत्रण और अनुबंध प्रबंधन में खामियों से संबंधित हैं, जो राजस्व प्राप्ति और सेवा वितरण को प्रभावित करते हैं।

प्रतिवेदन का आवृत्त क्षेत्र

प्रतिवेदन में दो भाग हैं

- **भाग क – राजस्व क्षेत्र**

  वाणिज्यिक कर (जीएसटी), भू-राजस्व, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क तथा राज्य आबकारी से संबंधित लेखापरीक्षा आक्षेप।

- **भाग ख – अनुपालन लेखापरीक्षा (व्यय)**

  चयनित राज्य सरकारी विभागों द्वारा सामाजिक और अवसंरचना क्षेत्रों में किए गए व्यय से संबंधित लेखापरीक्षा आक्षेप।

भाग क : राजस्व क्षेत्र – मुख्य निष्कर्ष

माल एवं सेवा कर (जीएसटी)

लेखापरीक्षा में जीएसटी भुगतान एवं रिटर्न दाखिल करने पर विभागीय निगरानी और ई-वे बिल प्रणाली से संबंधित विषय-विशिष्ट अनुपालन की जांच की गई।

मुख्य आक्षेप इस प्रकार हैं:

• इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) मिसमैच की सीमित जाँच, रिटर्न दाखिल करने में विलम्ब और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत देनदारियों की जांच न होना।

• बिज़नेस लेखापरीक्षा का दायरा निर्धारित मानदंडों से काफी कम रहा।

- कुछ मामलों में, वैधानिक नोटिस जारी होने के बावजूद, पहचान किए गए नॉन-फाइलर्स का मूल्यांकन नहीं किया जाना जारी रहा ।

- ई-वे बिल जारी करने और सत्यापन में भी विचलन पाए गए, जिनमें निरस्त किए गए पंजीयन और अपंजीकृत संस्थाओं से जुड़े मामले शामिल हैं ।

भू–राजस्व

चयनित इकाइयों की लेखापरीक्षा में पाया गया किः

- भूमि संपरिवर्तन, समर्पित की गई भूमि के मूल्यांकन और सरकार को भूमि की वापसी न करने में अनियमितताएं ।

- ऑनलाइन प्रक्रियाओं में प्रणाली-आधारित सुरक्षा उपायों के अभाव के कारण संपरिवर्तन शुल्क और संबंधित बकाया राशि की वसूली न होने के मामले सामने आए ।

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

लेखापरीक्षा में पाया गया किः

- दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण और छूटों के गलत उपयोग के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

की कम वसूली या वसूली न होना ।

- डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन न होने के कारण कुछ मामलों में राजस्व में कमी आई ।

राज्य आबकारी शुल्क

लेखापरीक्षा में पाया गया किः

- अनुज्ञापत्र शुल्क, गारंटीकृत मात्रा और शुल्क वसूली से संबंधित नीति के प्रावधानों को लागू करने में कार्यवाही नहीं करना ।

- कमजोर अनुवर्ती कार्यवाही और निगरानी के कारण आबकारी शुल्क, कम्पोजिट फीस और अंतर शुल्क की वसूली न होने के मामले ।

भाग खः अनुपालन लेखापरीक्षा–व्यय क्षेत्र

चयनित विभागों की लेखापरीक्षा जांच में **उपापन, अनुबंध प्रबंधन, परिसंपत्ति उपयोग और सेवाओं की डिलीवरी** से जुड़े मामले सामने आए ।

मुख्य क्षेत्र में शामिल हैंः

- **कार्मिक विभाग**

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फ्रिस्किंग सर्विस ठेके देने में हुई अनियमितताओं ने खरीद प्रक्रिया एवं पात्रता और प्रक्रियात्मक ज़रूरतों के अनुपालन में कमज़ोरी को इंगित किया ।

• नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

नीलामी की शर्तों के विपरीत, गलत दर प्रभारित करने की वजह से नगर विकास न्यास, जैसलमेर द्वारा नगरीय निर्धारण की कम वसूली ।

• चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

राशि उपलब्ध होने के बावजूद, मानवशक्ति की तैनाती न होने और उपकरण न खरीदे जाने की वजह से जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों (डीईआईसी) के लिए तैयार अवसंरचना आंशिक रूप से ही क्रियाशील रही ।

• उच्च शिक्षा विभाग

अनुबंधन निष्पादन और वित्तीय नियोजन में कमियों के कारण जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर में आई टी सिस्टम (यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम) का कम इस्तेमाल और सेन्टर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्माल बिज़नेस मैनेजमेंट (सीईएसबीएम) के अक्रियाशील रहने के मामले देखे गए ।

• स्वायत्त शासन विभाग

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की अपारदर्शी और अनियमित कार्यप्रणाली के कारण ई-बसों के उपापन के अनुबंध के निरस्तीकरण के परिणामस्वरूप निधियों का उपयोग नहीं हुआ और तय सार्वजनिक सेवा प्रदान करने में विलम्ब हुआ ।

• सैनिक कल्याण विभाग

व्यवहार्यता अध्ययन के अभाव के कारण "वीरांगना" पुनर्वास के उद्देश्य से तैयार की गई अवसंरचना अप्रयुक्त रही और, इसके अलावा, वैकल्पिक उपयोग हेतु समय पर फैसला नहीं लिया गया ।

समग्र लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न आवश्यकताओं की ओर इशारा करते हैं :

• **विभागीय निगरानी और आंतरिक नियंत्रण** को मजबूत करना,

• **वैधानिक और नीतिगत प्रावधानों** को समय पर लागू करना, और

• **सार्वजनिक निधि और परिसम्पत्तियों** की बेहतर **योजना, निगरानी और उपयोग** ।

यह प्रतिवेदन विभागों के अभिलेखों की जांच और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तरों के आधार पर तथ्य प्रस्तुत करता है, और इसका उद्देश्य विधायी निगरानी और प्रशासनिक सुधार में मदद करना है ।